राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता सिरोही।

क्रमांक / मअ / साथिन चयन / 2024 / 75 दिनांक 21/6/24

विज्ञप्ति : 01 / 2024–25

जिले में निम्नलिखित पंचायत समितियों के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतो में साथिन के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदो हेतु आवेदन पत्र कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, सिरोही में आमंत्रित किये जाते है :–

क्र.सं.	कार्यालय का नाम / पता	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	सहायक निदेशक महिला अधिकारिता सिरोही	सिरोही	हालीवाडा, मनोरा, मेरमण्डवाडा, फुगणी, सिंदरथ, तवरी,मडिया
2		शिवगंज	अरठवाडा, वाण, मोरली।
3		रेवदर	हरनी अमरापुरा, जोलपुर, मकावल, निम्बज, पामेरा, पीथापुरा, रोहुआ, सोरडा।
4		पिण्डवाडा	काला महादेव खेडा, जनापुर, ठण्डीवेरी, वालेरिया, अजारी।
5		आबूरोड	भैसासिंग, दोयतरा, वासडा, गिरवर।

1. साथिन हेतु न्यूनतम दसवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है विशेष परिस्थिति में आठवी उत्तीर्ण महिला का चयन किया जा सकेगा। उक्त मानदेय कर्मी साथिन पद पूर्णतः स्वैच्छिक है एवं विभागीय परिपत्र प. 19(1)( )निमअ / साथिन चयन / परिपत्र / 2021 / 38229 दिनांक 14.10.2022 की शर्तो व विभागीय निर्देशो के अध्याधीन है।
2. **स्थानीय निवासी होना** – आवेदनकर्ता महिला संबंधित ग्राम पंचायत की मूल व स्थानीय निवासी होनी चाहिए निवासी होने के आधार हेतु दस्तावेजो की छाया प्रति मतदाता पहचान पत्र / राशन कार्ड / जन आधार कार्ड / आधार कार्ड / मूल निवास प्रमाण पत्र / विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र / ग्राम विकास अधिकारी / सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से कोई भी दो वांछनीय दस्तावेजो की छाया प्रति का उल्लेख आवेदन पत्र में किया जावें।

   विधवा महिला व तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला को ससुराल व मायके दोनो स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा। (दस्तावेज संलग्न करें।)
3. **वैवाहित स्थिति** – साथिन के पद पर आवेदन हेतु महिला का विवाहित होना आवश्यक नही है।
4. **आयु** – आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, आर्थिक पिछडा वर्ग, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित–प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन तेजाब आक्रमण के पीडित, पेशीय दुष्पोषण) के प्रकरण में अधिकतम आयु 45 वर्ष तक की होगी। (विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को)
   - विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र व पुनर्विवाह नही किया है इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक होगा।
   - परित्यक्ता एवं तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम स्तर (न्यायालय / उपखण्ड अधिकारी) से जारी आदेश / डिग्री की छायाप्रति को आवश्यक रूप से दस्तावेजो में संलग्न किया जाये।
5. **श्रेणीवार आरक्षण** –
   - जिन ग्राम पंचायतो के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति / जनजाति / अल्पसंख्यक वर्ग का है, को उन ग्राम पंचायतो हेतु अनिवार्यतः उसी वर्ग की महिला का चयन किया जाएगा ग्राम पंचायत में जनसंख्या की गणना ग्राम विकास अधिकारी से प्राप्त जनगणना रिपोर्ट के आधार पर ही की जानी चाहिए।

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछडा वर्ग क्रीमी–लेयर के जारी प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। (क्रीमी–लेयर में नही होने संबंधित प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार क्रीमी–लेयर में नही होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त भी अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी–लेयर में नही है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाये, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है।) अर्थात आवेदक महिला का पिछडा वर्ग नॉन क्रीमी–लेयर प्रमाण पत्र विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व तक के ही स्वीकार किये जाएगे व इस संबंध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश लागू होगे।

6. आवेदक अपने फार्म के साथ जो लागू हो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र(8वी/सैकण्डरी/हाई सैकण्डरी/स्नातक/स्नातकोत्तर/कम्प्यूटर कोर्स (RS-CIT/RS-CFA/PGDCA या अन्य समकक्ष/उच्चतर कोर्स) व अनुभव प्रमाण पत्र व वर्ग (जाति प्रमाण पत्र) व बीपीएल/NFSA/अन्त्योदय प्रमाण पत्र व निवासी प्रमाण पत्र व विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजो की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें।
7. योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियों में स्वयं प्रमाणित दस्तावेजो की प्रति सहित इस कार्यालय में व्यक्तिशः/अथवा अन्य माध्यम से दिनांक 21.07.2024 को सांय 05.00 बजे तक जमा करा सकेगी। सांय 05.00 बजे पश्चात प्राप्त आवेदन पर किसी प्रकार का विचार नही किया जावेगा।
8. आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होना एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना अनिवार्य है।
9. एक बार आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें संशोधन करने अथवा अनुलग्नक संलग्न किये जाने की अनुमति नही होगी।

Ankita

(अंकिता राजपुरोहित)
सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता
सिरोही।

क्रमांक/मअ/साथिन चयन/2024/ 75

दिनांक 21/6/24

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान आयुक्त महिला अधिकारिता राज. जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही।
3. श्रीमान उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग सिरोही।
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति सिरोही/शिवगंज/पिण्डवाडा/रेवदर/आबूरोड को भेजकर निवेदन है कि रिक्त साथिन पद पर चयन हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायतो में आगामी ग्राम सभा में साथिन चयन को ग्राम सभा के एजेंडे में शामिल करवाए।
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी समस्त जिला सिरोही।
6. सुपरवाईजर महिला अधिकारिता को भेजकर लेख है कि ग्राम पंचायत/पंचायत समिति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति चस्पा कर व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करें।
7. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत .... को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित है।
8. प्रोग्रामर महिला अधिकारिता राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
9. संपादक राजस्थान पत्रिका सिरोही को भेजकर निवेदन है कि जिले के संस्करण में DIPR की दरों पर न्यूनतम साईज में विज्ञप्ति प्रकाशित करें।
10. नोटिस बोर्ड जिला कलक्टर कार्यालय, जिला परिषद, कार्यालय हाजा, ब्लॉक/पंचायत समिति में चस्पा हेतु ।
11. रक्षित पत्रावली।

Ankita

सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता
सिरोही।